संख्या– 647 ई–२/तेरह–२००३-1/2003

प्रेषक,

चिन्तामणि,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग–२ लखनऊ::दिनांक:: 28 फरवरी, २००३

विषयः–वर्ष २००३–०४ के लिये आबकारी नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– तथा पत्र संख्या– जी–२१३ दिनांक २४ जनवरी, २००३, जी–२१५/दस–लाइसेंस–३६७/सुझाव–आबकारी नीति/२००३–०४ दिनांक २७ जनवरी, २००३, जी–२१६ दिनांक २७ जनवरी, २००३ जी–२१८ २६ जनवरी, २००३, जी–२२२ दिनांक ६ फरवरी, २००३ पर सम्यक विचारोपरान्त वर्ष २००३–०४ के लिये आबकारी नीति के निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:–

१. दुकानों का व्यवस्थापनः–

१.१ वर्ष २००३–०४ के लिये आबकारी की समस्त दुकानों (देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर) का व्यवस्थापन,नियमावली में विद्यमान प्राविधानों के अनुसार नवीनीकरण/सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।

१.२ जिन दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण के माध्यम से नहीं हो पाएगा, उनका तथा नव सृजित दुकानों का व्यवस्थापन गत वर्ष २००२–०३ की भांति सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिये प्रार्थनापत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के रूप में रू० ५०० देय होगा।

१.३ नवीनीकरण केवल उसी दशा में अनुमन्य होगा, जबकि अनुज्ञापी द्वारा वर्ष २००२–०३ के अवशेष सभी बकायों का भुगतान कर दिया गया हो।

१.४ भांग की दुकानों का व्यवस्थापन पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलाम), नियमावली, १९९१ (यथा संशोधित) के अन्तर्गत नीलाम प्रणाली से कराया जाए।

१.५ जनपदवार नवीनीकरण का पूर्व अनुमान प्रत्येक जिला आबकारी अधिकारी से दिनांक ५.३.२००३ तक प्राप्त कर शासन के सूचनार्थ

आवकारी आयुक्त द्वारा प्रेषित किया जाएगा, जिससे शासन में यह स्थिति स्पष्ट हो कि देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर की कितनी दुकानों का नवीनीकरण पद्धति से व्यवस्थापन होगा और अवशेष कितनी दुकानों का सार्वजनिक लाटरी की प्रक्रिया द्वारा व्यवस्थापन होगा।

२. <u>देशी मदिरा :–</u>

२.१ वर्ष २००३–०४ के लिये देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का निर्धारण ३६ प्रतिशत वी/वी की तीव्रता में किया जाएगा एवं प्रदेश के लिये वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा १७.८१ करोड़ बल्क लीटर रहेगी। किन्तु आबकारी आयुक्त द्वारा वर्ष २००३–०४ में जैसा कि उन्होंने अपने सन्दर्भित पत्र दिनांक २७.१.२००३ द्वारा आश्वस्त किया है, २० करोड़ बल्क लीटर नोशल न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के रूप में जनपदवार के उपभोग का लक्ष्य निर्धारित करते हुए तदनुसार उपभोग और उससे आबकारी राजस्व के रूप में १७५८ करोड़ की धनराशि वर्ष २००३–०४ में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। जिला आबकारी अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा प्रत्येक माह उक्तानुसार २० करोड़ बल्क लीटर (३६ प्रतिशत वी/वी) के नोशनल न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के रूप में उपभोग के ऊपर आधारित होगी और आबकारी आयुक्त जनपदवार उक्तानुसार उपभोग का समीक्षात्मक विवरण प्रत्येक माह की १२ तारीख तक अवश्य शासन को भेजेंगे।

२.२ नवीनीकरण के माध्यम से व्यवस्थापित होने वाली देशी मदिरा की दुकानों की वर्ष २००३–०४ के लिये न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा ३६ प्रतिशत वी/वी पर वही होगी, जो वर्ष २००२–०३ में ४२.८ प्रतिशत वी/वी पर है। इसी प्रकार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापित की जाने वाली वर्तमान में स्वीकृत अवशेष दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा ३६ प्रतिशत वी/वी पर वही होगी, जो वर्ष २००२–०३ में ४२.८ प्रतिशत वी/वी के टर्म में है।

२.३ देशी मदिरा की दुकानों के नवीनीकरण के लिये प्रॉसेसिंग फीस के रूप में नगर निगम क्षेत्र में रू० ७०००, नगर पालिका क्षेत्र के लिये रू० ५०००, नगर पंचायत के लिये रू० ३००० तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिये रू० १००० प्रति दुकान होगी।

२.४ वर्ष के प्रारम्भ में देशी मदिरा की २ श्रेणियां ३६ प्रतिशत वी/वी व २५ प्रतिशत वी/वी तीव्रता की रखी जाएंगी, जिसका अधिकतम थोक/फुटकर विक्रय मूल्य आपके पत्र संख्या–जी २१६–दस–लाइसेंस–६६/दे०मदिरा मूल्य निर्धारण/२००२–०३ दिनांक २७ जनवरी २००३ के संलग्नक में अंकित विवरण के अनुसार अनुमोदित किया जाता है। उक्त अनुमोदित तालिका की एक प्रति संलग्न है। इसके अतिरिक्त नियमावली में यह भी स्पष्ट प्राविधान होगा कि वर्ष के दौरान आवश्यकतानुसार देशी मदिरा की अन्य तीव्रता/धारिता का सृजन आबकारी आयुक्त द्वारा शासन के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा, जिसका मूल्य निर्धारण उक्त अनुमोदित तालिका के अनुसार समानुपातिक रूप से ही किया जाएगा।

२.५ यदि अनुज्ञापी चाहे तो वर्ष २००२–०३ में सृजित उप दुकानों का भी नवीनीकरण उसकी मूल दुकान के साथ कर दिया जाय और इस तथ्य का अंकन उसके अनुज्ञापन में किया जाए।

२.६ वर्ष २००३–०४ में निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा अर्थात १७.८१ करोड़ बल्क लीटर पर रू० १० प्रति बल्क लीटर की दर से बेसिक लाइसेंस फीस देय होगी। यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा १७.८१ करोड़ बल्क लीटर निर्धारित की गई है, जो केवल वर्तमान वर्ष की व्यवस्थित दुकानों के पुर्नव्यवस्थापन से होगी अर्थात नई सृजित होने वाली दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा नोशनल मात्रा २० करोड़ बल्क लीटर में से किया जाएगा अर्थात २०–१७.८१ = २.१९ करोड़ बल्क लीटर में नई दुकानों का कोटा निर्धारित किया जाएगा एवं उसके लिये बेसिक लाइसेंस फीस व लाइसेंस फीस नियमानुसार ली जाएगी।

२.७ वर्ष २००३–०४ में देशी मदिरा पर निम्नानुसार अभिकर आरोपित किया जाएगा–

१. ३६ प्रतिशत वी/वी पर रू० ७६/– प्रति बल्क लीटर,
२. २५ प्रतिशत वी/वी पर रू० ५४.८६१/– प्रति बल्क लीटर।

२.८ इस वर्ष २००२–०३ की निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में से अविक्रीत देशी मदिरा की बिक्री अगले वर्ष के एक माह अर्थात

अप्रैल, २००३ में करने की सुविधा केवल नवीनीकरण कराने वाले अनुज्ञापियों को देने हेतु नियमों में शिथिलीकरण अनुमन्य किया जाएगा।

२.९ देशी मदिरा की आपूर्ति वर्ष २००३–०४ में पूर्व की भांति सी०एल०–२ के माध्यम से की जाएगी, जिसका अनुज्ञापन शुल्क वर्ष २००३–०४ के लिये रू० ३ लाख होगा।

२.१० देशी मदिरा की दुकानों के नवीनीकरण के लिये समस्त आबकारी देयों के भुगतान के साथ–साथ यह भी शर्त होगी कि अनुज्ञापी इस वर्ष अर्थात मार्च ३१, २००३ तक २००२–०३ की सम्पूर्ण न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा उठाएगा।

३. विदेशी मदिरा एवं बियरः–

३.१ विदेशी मदिरा के नवीनीकरण के लिये नगर निगम की दुकानों के लिये रू० १०,००० नगरपालिका क्षेत्र में रू० ७०००, नगर पंचायत क्षेत्र में रू० ५००० तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू० १००० नवीनीकरण एवं प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में लिया जायेगा।

३.२ विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस :–
विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस वर्ष २००२–०३ की भांति ही लिये जाने का प्रस्ताव है, जो कि निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	श्रेणी	अनुमानित वार्षिक बिक्री (७५० एम०एल० तक की बोतलों में)	लाइसेंस फीस (रूपये में)
१.	१	२५०० तक	२५०००
२.	२	२५०१ से ५००० तक	५००००
३.	३	५००१ से १०००० तक	१०००००
४.	४	१०००१ से १५००० तक	२०००००
५.	५	१५००१ से २५००० तक	३०००००
६.	६	२५००१ से ४०००० तक	५०००००
७.	७	४०००१ से ८०००० तक	८०००००
८.	८	८०००१ से १२०००० तक	१२०००००
९.	९	१२०००१ से अधिक	१५०००००

"प्रतिबन्ध यह भी रहेगा कि दुकानों की अनुमानित वार्षिक बिक्री के आधार पर नगर निगम क्षेत्रों में लाइसेंस फीस रूपये ३०००००/– या

उससे अधिक, नगर पालिका क्षेत्रों के लिये रूपये १००००० /– या उससे अधिक, नगर पंचायत क्षेत्रों के लिये रूपये ५०००० /– या उससे अधिक व ग्रामीण क्षेत्रों में रूपये २५००० /– या उससे अधिक रहेगी। यह भी प्रतिबन्ध रहेगा कि किसी नगरीय निकाय की सीमा से तीन किलोमीटर की दूरी के अन्दर ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें नहीं खोली जायेंगी।''

३.३ लाइसेंस फीस निर्धारण हेतु अनुमानित वार्षिक बिक्री के आगणन हेतु वर्ष २००२–०३ में उस दुकान का दिसम्बर, २००२ तक (९ माह की अवधि) की वास्तविक बिक्री को आधार बनाया जाएगा। (अर्थात यदि किसी दुकान की वर्ष २००२–०३ में माह दिसम्बर, २००२ तक वास्तविक बिक्री ९००० बोतल है तो उसकी अनुमानित वार्षिक बिक्री ९००० × ४/३ = १२००० बोतल मानी जा सकती है) विदेशी मदिरा की दुकानों की लाइसेंस फीस का निर्धारण शासन के निर्देशों के अनुरूप उक्त मार्गदर्शक सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाय ताकि राजस्व की हानि न हो।

३.४ विदेशी मदिरा पर अभिकर का निर्धारण हेतु वर्ष २००२–०३ में प्रचलित श्रेणियां यथावत् रहेगी और प्रत्येक श्रेणी में अभिकर में इस वर्ष वृद्धि की जायेंगी। वर्ष २००२–०३ में प्रचलित श्रेणियों एवं उस पर निर्धारित अभिकर संलग्नक– २ पर है। आबकारी आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्तानुसार श्रेणी एवं ई.डी.पी. को यथावत् रखते हुये प्रत्येक श्रेणी पर १० प्रतिशत की वृद्धि करते हुए अधिकतम विक्रय मूल्य स्वीकृत किया जाय।

३.५ एफ०एल०–२ अनुज्ञापन की वर्ष २००३–०४ के लिये लाइसेंस फीस रू० ३ लाख होगी।

४. बियरः–

४.१ बियर की दुकानों के नवीनीकरण के लिये नगर–निगम क्षेत्र की दुकानों के लिये रू० १००००, नगर पालिका क्षेत्र के लिये रू० ७०००, नगर पंचायत क्षेत्र के लिये रू० ५००० एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये रू० १००० नवीनीकरण शुल्क एवं प्रॉसेसिंग फीस के लिये लिया जाएगा।

४.२ बियर की दुकानों की लाइसेंस फीस गत वर्ष की भांति ही लिये जाने का प्रस्ताव है, जो कि निम्नानुसार है :–

क्रमांक	श्रेणी	अनुमानित वार्षिक बिक्री (६५० एम०एल० तक की बोतलों में)	लाइसेंस फीस (रूपये में)
१.	१	१२५०० तक	२५०००
२.	२	१२५०१ से २५००० तक	५००००
३.	३	२५००१ से ५०००० तक	१०००००
४.	४	५०००१ से अधिक	१५००००

परन्तु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि २५००० /— रू० लाइसेंस फीस की दुकानें केवल ग्रामीण क्षेत्रों व नगर पंचायतों में तथा ५०००० रू० लाइसेंस फीस की दुकानें केवल ग्रामीण क्षेत्रों, नगर पंचायतों व नगर पालिकाओं में ही खोली जा सकेंगी। इस प्रकार नगर निगमों में खोली जाने वाली दुकानों की न्यूनतम लाइसेंस फीस १.०० लाख रूपये रहेगी।

बियर की दुकानों की अनुमानित वार्षिक बिक्री व तदनुसार लाइसेंस फीस का आगणन करने हेतु वही मार्गदर्शक सिद्धान्त अपनाये जायें जो कि उपरोक्त प्रस्तर में विदेशी मदिरा की दुकानों हेतु दिये गये हैं।

४.३ <u>बियर पर अभिकर का निर्धारण</u> :—

बियर की वर्तमान अभिकर दरों में वृद्धि करके वर्ष २००३—०४ के लिये निम्नानुसार अभिकर निर्धारित किया जाए:—

	वर्तमान अभिकर प्रति बोतल (६५०एम०एल०)	वर्ष २००३—०४ के लियें अभिकर प्रति बोतल (६५० एम०एल०)
माइल्ड (५ % वी/वी तक)	१५/— रू० प्रति बोतल	१६.५० रू० प्रति बोतल
स्ट्रांग (८ % वी/वी तक)	२७/— रू० प्रति बोतल	३०/— रू० प्रति बोतल

५. वाइनः—

वाइन की फुटकर बिक्री की लाइसेंस फीस रू० ५०००/— रखने के बावजूद मेडिकल स्टोर, डिपार्टमेन्टल स्टोर या जनरल स्टोर तथा विदेशी मदिरा एवं बियर के अनुज्ञापी वाइन बिक्री के लाइसेंस लेने के प्रति उत्साहित नहीं हुए। अतः वाइन की लाइसेंस फीस रू० ५०००/— के स्थान पर रू० २०००/— रखा जाना प्रस्तावित है। कम अल्कोहलिक ड्रिंक के रूप में वाइन के अलावा लो—अल्कोहलिक बुवरेज के विक्रय की भी अनुमति प्रदान की गई है।

६. राजस्व के अतिरिक्त स्रोत :—

६.१ <u>विदेशी मदिरा की बोतल भराई शुल्क (एफ०एल०—३, एफ०एल०—३ए) में वृद्धि</u>:— विदेशी मदिरा की बोतल भराई शुल्क में निम्नानुसार वृद्धि की जाए:—

बोतल की श्रेणी	वर्तमान शुल्क		वर्ष २००३—०४ के लिये निर्धारित शुल्क	
	एफ०एल०—३ के लिये	एफ०एल०—३ए के लिये	एफ०एल०—३ के लिये	एफ०एल०—३ए के लिये
१००० मि०ली० की बोतल	१.०० रू० प्रति बोतल	१.३५रू० प्रति बोतल	१.३०रू० प्रति बोतल	१.७०रू० प्रति बोतल
७०० मि०ली० या ७५० मि०ली० की बोतल	०.७५रू० प्रति बोतल	१.००रू० प्रति बोतल	१.००रू० प्रति बोतल	१.३५रू० प्रति बोतल

मि०ली० की बोतल	०.५५रू० प्रति बोतल	०.७५रू० प्रति बोतल	०.७०रू० प्रति बोतल	१.००रू० प्रति बोतल
मि०ली० की बोतल	०.४५रू० प्रति बोतल	०.६०रू० प्रति बोतल	०.६०रू० प्रति बोतल	०.८०रू० प्रति बोतल
मि०ली० की बोतल	०.३०रू० प्रति बोतल	०.४०रू० प्रति बोतल	०.४०रू० प्रति बोतल	०.५०रू० प्रति बोतल
मि०ली० की बोतल	०.१५रू० प्रति बोतल	०.२०रू० प्रति बोतल	०.२०रू० प्रति बोतल	०.२५रू० प्रति बोतल
मि०ली० की बोतल	०.१०रू० प्रति बोतल	०.१५रू० प्रति बोतल	०.१५रू० प्रति बोतल	०.२०रू० प्रति बोतल

६.२ <u>आसवनियों के लाइसेंस शुल्क में वृद्धिः–</u>

आसवनियों के वर्तमान लाइसेंस शुल्क (१५/– रू० प्रति कि०ली०) में १०/– रू० प्रति कि० ली० की दर से वृद्धि की जाए अर्थात रू० २५ प्रति किलो लीटर की दर से लाइसेंस फीस ली जाए।

इसके अतिरिक्त आसवनियों की प्रतिभूति धनराशि रू० १ लाख से बढ़ाकर ५ लाख कर दी जाए एवं बैंक गारन्टी के रूप में रू० १५ लाख रू० जमा कराया जाए। आबकारी आयुक्त द्वारा नियमावली में तदनुसार संशोधन किया जाए।

६.३ बियर पर बोतल भराई शुल्क :–

वर्ष २००३–०४ में बियर की बोतल भराई शुल्क निम्नानुसार लिया जाएः–

क	बोतल की श्रेणी	एफ०एल०–३ के लिए	एफ०एल०–३ए के लिए
	६५० मि०ली० की बोतल	०.२५ रू० प्रति बोतल	०.३५ रू० प्रति बोतल
	३५० मि०ली० या इससे कम धारिता की बोतल	०.१५ रू० प्रति बोतल	०.२० रू० प्रति बोतल

तदनुसार आबकारी आयुक्त द्वारा इस सम्बन्ध में नियमावली के प्रख्यापन हेतु शासन को प्रेषित की जाए।

६.४ ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव :–

विदेशी मदिरा के प्रत्येक ब्राण्ड पर रजिस्ट्रेशन एवं अधिकतम मूल्य निर्धारण हेतु रू० २५ हजार वार्षिक शुल्क लगाया जाए।

६.५ लेबुलों का अनुमोदन शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव :–

१. विदेशी मदिरा–विदेशी मदिरा के लेबुलों के अनुमोदन के पूर्व प्रति लेबुल प्रति वर्ष १० हजार रूपया धारितावार अनुमोदन शुल्क लिया जाए।

२. बियरः–इसी प्रकार बियर के लेबुलों के अनुमोदन के लिये प्रति लेबुल प्रति वर्ष ५ हजार रूपये धारितावार अनुमोदन शुल्क लिया जाए।

३. वाइन/कम तीव्रता अल्कोहलिक ब्रूवरेजः–प्रति लेबुल प्रति वर्ष धारितावार रू० ५०००/– अनुमोदन शुल्क लिया जाए।

६.६ ताड़ी में टैक्स एवं सरचार्ज :–

वर्ष २००३–०४ में प्रदेश के सभी जनपदों में ताड़ व खजूर के वृक्षों पर वृक्ष–कर तथा उस पर आरोपित सरचार्ज समान रूप से निर्धारित करते हुए ताड़ का टैक्स १०० रू० एवं सरचार्ज ५० रू०. कर दिया जाए। इसी प्रकार खजूर पर टैक्स रू० ६०/– एवं सरचार्ज रू० ३०/– कर दिया जाए। इस हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा नियमावली/अधिसूचना में संशोधन का प्रस्ताव शीघ्र अनुमोदनार्थ उपलब्ध कराया जाए।

६.७ देशी शराब पर निर्यात शुल्क कम किया जाय :–

प्रदेश में देशी शराब पर वर्तमान निर्यात ड्यूटी, ४.०० रू० प्रति अल्कोहलिक लीटर से घटाकर रू० २.०० प्रति अ०ली० कर दी जाए।

७. भांग पर अभिकर:–

वर्ष २००३–०४ के लिये भांग पर अभिकर २०/– रू० प्रति कि०ग्रा० निर्धारित की जाती है।

८. अन्य आदेश :–

८.१ शासन द्वारा देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर की नई दुकानें सृजित करने के लिये आबकारी आयुक्त को अधिकृत किया जाता है, बशर्ते कि जनपद की कुल स्वीकृत दुकानों के १० प्रतिशत से अनधिक नई दुकानें सृजित होती हैं। परन्तु १० प्रतिशत से अधिक नई दुकानों के सृजन के लिये शासन की पूर्व अनुमति आबकारी आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाएगी।

८.२ आबकारी आयुक्त द्वारा नियमावली में इस आशय का संशोधन किया जाए कि वर्ष के दौरान शासन/आबकारी आयुक्त द्वारा नई दुकानों का सृजन किया जा सकता है।

८.३ वर्ष के प्रारम्भ में अथवा वर्ष के दौरान देशी मदिरा की नव–सृजित दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा जनपदवार/दुकानवार आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो कि वर्ष २००३–०४ के लिये निर्धारित उपरोक्त न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा १७.८१ करोड़ बल्क लीटर के अतिरिक्त होगी।

९. वर्ष २००३–०४ के लिये राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य:–

वर्ष २००३–०४ के लिये राजस्व प्राप्ति के सम्बन्ध में आप द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुमान एवं शासन स्तर पर हुई अनेक बैठकों में विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था:–

क्रमांक	मद का प्रकार	वर्ष २००३– ०४ में अनुमानित राजस्व (करोड़ रू० में)
१.	देशी मदिरा	१७५८.००
२.	विदेशी मदिरा	७००.००
३.	बियर	१३७.००
५.	अन्य	२००.००
	योग	२७६५.००

उपरोक्त अनुमान में यह भी अनुमानित है कि रू० १६४ करोड़ की राशि वर्ष २००२–०३ में ही नवीनीकरण, प्रोसेसिंग फीस, प्रार्थना पत्र/प्रोसेसिंग चार्ज आदि के रूप में इस वर्ष में ही प्राप्त होगी। उक्त अनुमानित लक्ष्य में रू० १०५ करोड़ की वृद्धि की जाती है अर्थात २००३–०४ में आबकारी राजस्व के रूप में रू० २६०० करोड़ निर्धारित किया जाता है। आबकारी आयुक्त को निदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व प्राप्ति के आंकलन में रू० १०५ करोड़ की वृद्धि अर्थात् कुल रू० २६०० करोड़ की प्राप्ति (जिसमें रू० १६४ करोड़ इस वर्ष की प्राप्ति सम्मिलित है) सुनिश्चित करने के लिये अभी से पुनः मदवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए स्पष्ट कार्य योजना बनाकर शासन को दिनांक १५ मार्च तक प्रस्तुत किया जाय।

१०. प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने हेतु आबकारी विभाग द्वारा नियमित रूप से प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक ३१ मार्च, २००३ के पूर्व जनपदवार/ दुकानवार/माहवार वर्ष २००३–०४ में लाइसेंस फीस एवं सिक्योरिटी के रूप में अनुमानित धनराशि तथा उसके सापेक्ष प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जाए, जिससे वर्तमान वर्ष में इस क्षेत्र में आई विसंगति को दूर किया जा सके। इस मद में प्राप्तियों का सत्यापन ट्रेजरी से कराया जाए।

११. मदिरा की तस्करी एवं अवैध मद्य–निष्कर्षण को रोकने हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा वर्ष २००३–०४ में विशेष प्रयास किया जाए तथा इस हेतु स्थापित २६ चेक पोस्टों एवं १० सचल दस्तों तथा जनपदों में तैनात प्रवर्तन स्टाफ को विशेष रूप से सक्रिय किया जाए। पकड़े गये अभियोगों की मासिक समीक्षा कर उसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए।

भवदीय,

28/02/03

(चिन्तामणि)
संयुक्त सचिव।

संलग्न
2

विदेशी मदिरा का विक्रय मूल्य निर्धारण

वर्तमान व्यवस्था वर्ष २००२—२००३							
क्र०सं०	श्रेणी	एक्स आसवनी / एक्स बाण्ड / एक्स.सी.एस.डी. मूल्य प्रति बोतल (रू० में) (x)	अभिकर प्रति लीटर (रू० में)	अभिकर प्रति बोतल (७५० एम. एल.) (रू० में) (D)	अधिकतम थोक विक्रय मूल्य (रू० में)	फुटकर विक्रेता का न्यूनतम मार्जिन / अधिकतम फुटकर मूल्य(P)	अधिकतम फुटकर मूल्य (P)
१.	सस्ती	२०.०० तक	११२.००	८४.००	D + १.१ x	१.१ x	D + २.२ x
२.	मीडियम बीटा	२०.०० से अधिक २५.०० तक	१२८.००	९६.००	D + १.१ x	१.१ x	D + २.२ x
३.	मीडियम अल्फा	२५.०० से अधिक ३५.०० तक	१४८.००	१११.००	D + १.०५ x	१.०५ x	D + २.१ x
४.	रेगुलर बीटा	३५.०० से अधिक ४५.०० तक	१६०.००	१२०.००	D + १.०५ x	०.६५ x	D + २.[illegible]
५.	रेगुलर अल्फा	४५.०० से अधिक ५५.०० तक	१७२.००	१२६.००	D + १.०५ x	०.८५ x	D + १.६
६.	सेमी प्रीमियम	५५.०० से अधिक ७५.०० तक	२१६.००	१६२.००	D + १.०५ x	०.७५ x	D + १.८
७.	प्रीमियम बीटा	७५.०० से अधिक १०५.०० तक	२३२.००	१७४.००	D + १.०५ x	०.६५ x	D + १.७
८.	प्रीमियम अल्फा	१०५.०० से अधिक १५०.०० तक	२५६.००	१९२.००	D + १.०५ x	०.५५ x	D + १.६
९.	सुपर प्रीमियम	१५०.०० से अधिक २५०.०० तक	३४०.००	२५५.००	D + १.०५ x	०.३५ x	D + [illegible]
१०.	स्काच	२५०.०० से अधिक	४२०.००	३१५.००	D + १.०५ x	०.२५ x	D + १.३

वर्ष 2003–2004 में देशी शराब के अनुज्ञापन के नवीनीकरण हेतु

आवेदन–पत्र

1– दुकान का नाम ....

2– अनुज्ञापी का नाम व पता ....

....

3– वर्ष 2002–2003 में 42.8 प्रतिशत वी./वी. के टर्म में निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा बल्क ली. .... में

4– वर्ष 2002–2003 में 42.8 प्रतिशत वी/वी के टर्म में उठायी गयी न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा बल्क ली0 .... में

5– वर्ष 2002–2003 में निर्धारित बेसिक लाइसेंस शुल्क ....

6– वर्ष 2002–2003 में जमा बेसिक लाइसेंस शुल्क ....

7– वर्ष 2002–2003 में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस शुल्क ....

8– वर्ष 2002–2003 में जमा वार्षिक लाइसेंस शुल्क ....

9– वर्ष 2002–2003 में निर्धारित प्रतिभूति धनराशि ....

10–वर्ष 2002–2003 में जमा प्रतिभूति धनराशि ....

11–निर्धारित नवीनीकरण शुल्क ....

12–नवीनीकरण शुल्क जमा करने का विवरण ....

(निर्धारित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जिला आबकारी अधिकारी ....

के पद नाम का संलग्न किया जाय ।)

13–वर्ष 2003–2004 के लिये निर्धारित बेसिक लाइसेंस शुल्क ....

14–वर्ष 2003–2004 के लिये जमा बेसिक लाइसेंस शुल्क ....

(निर्धारित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जिला आबकारी अधिकारी ....

के पद नाम का संलग्न किया जाय ।)

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दु 1 से 14 तक दी गई सूचनाएँ सत्य हैं । अंकित की गयी सूचनाएँ असत्य पाये जाने पर नवीनीकरण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाये तथा नवीनीकरण शुल्क जब्त कर लिया जाय । उक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र भी संलग्न है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

(पूरा नाम व पता सहित)

उपरोक्त का मैंने अभिलेखों के आधार पर सत्यापन कर लिया है तथा उपर्युक्त बिन्दु–1 से 14 तक दी गयी सूचनायें सत्य है / भिन्नता निम्नानुसार है:–

जिला आबकारी अधिकारी

प्रति हस्ताक्षरित

निरोधक क्षेत्र के निरीक्षक के हस्ताक्षर

(पूरा नाम)..

उपर्युक्त दी गई सूचनाओं के आधार पर श्री ....

पुत्र .... के फुटकर देशी शराब दुकान का वर्ष 2003–2004 के लिये नवीनीकरण निम्न विवरण के अनुसार किया जाता है। लाइसेंस निर्गत किया जाय।

1. दुकान का नाम ....

2. वर्ष 2003–04 में वार्षिक एम0जी0क्यू0 (36% V/V में)...............................

वर्ष 2003–2004 में विदेशी मदिरा के अनुज्ञापन के नवीनीकरण हेतु आवेदन–पत्र

1– विदेशी मदिरा दुकान का नाम ....

2– वर्ष 2002–2003 के अनुज्ञापी का नाम व पता ....
....

3– वर्ष 2002–2003 में दिसम्बर तक बिक्री की गई विदेशी मदिरा का विवरण बोतलों (750 एम0एल0 में)........................

4– वर्ष 2002–2003 में दिसम्बर तक बिक्री की गई मात्रा X 4/3 = ...(वर्ष 02–03 में संभावित बिक्री)

5– वर्ष 2002–2003 में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस शुल्क ....

6– वर्ष 2002–2003 में जमा वार्षिक लाइसेंस शुल्क ....

7– वर्ष 2002–2003 में निर्धारित प्रतिभूति धनराशि ....

8–वर्ष 2002–2003 में जमा प्रतिभूति धनराशि ....

9–निर्धारित नवीनीकरण शुल्क ....

10–नवीनीकरण शुल्क जमा करने का विवरण ....
(निर्धारित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जिला आबकारी अधिकारी के पद नाम का संलग्न किया जाय ।)

11–वर्ष 2003–2004 के लिये निर्धारित लाइसेंस शुल्क ....

12–वर्ष 2003–2004 के लिये जमा लाइसेंस शुल्क ....
(विवरण निर्धारित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट या चालान नं0 दिनांक सहित, जिला आबकारी अधिकारी के पद नाम का संलग्न किया जाय।)
....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दु 1 से 12 तक दी गई सूचनाएँ सत्य हैं । अंकित की गयी सूचनाएँ असत्य पाये जाने पर नवीनीकरण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाये तथा नवीनीकरण शुल्क जब्त कर लिया जाय । उक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र भी संलग्न है ।

आवेदक के हस्ताक्षर
(पूरा नाम व पता सहित)

उपरोक्त का मैंने अभिलेखों के आधार पर सत्यापन कर लिया है तथा उपर्युक्त बिन्दु–1 से 12 तक दी गयी सूचनायें सत्य है/ भिन्नता निम्नानुसार है:–

जिला आबकारी अधिकारी
प्रति हस्ताक्षरित

निरोधक क्षेत्र के निरीक्षक के हस्ताक्षर
(पूरा नाम)..

उपर्युक्त दी गई सूचनाओं के आधार पर श्री ....
पुत्र .... के फुटकर विदेशी शराब दुकान का वर्ष 2003–2004 के लिये नवीनीकरण निम्न विवरण के अनुसार किया जाता है। लाइसेंस निर्गत किया जाय।

1. विदेशी मदिरा दुकान का नाम ....

2. वर्ष 2003–2004 के लिये निर्धारित वार्षिक लाइसेंस शुल्क ....

लाइसेंस प्राधिकारी / जिलाधिकारी
जनपद ....

वर्ष 2003–2004 में विदेशी मदिरा के अनुज्ञापन के नवीनीकरण हेतु

आवेदन–पत्र

1– विदेशी मदिरा दुकान का नाम ....

2– वर्ष 2002–2003 के अनुज्ञापी का नाम व पता ....

....

3– वर्ष 2002–2003 में दिसम्बर तक बिक्री की गई विदेशी मदिरा का विवरण बोतलों (750 एम0एल0 में).......................

4– वर्ष 2002–2003 में दिसम्बर तक बिक्री की गई मात्रा X 4/3 = ...(वर्ष 02–03 में संभावित बिक्री)

5– वर्ष 2002–2003 में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस शुल्क ....

6– वर्ष 2002–2003 में जमा वार्षिक लाइसेंस शुल्क ....

7– वर्ष 2002–2003 में निर्धारित प्रतिभूति धनराशि ....

8–वर्ष 2002–2003 में जमा प्रतिभूति धनराशि ....

9–निर्धारित नवीनीकरण शुल्क ....

10–नवीनीकरण शुल्क जमा करने का विवरण ....

(निर्धारित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जिला आबकारी अधिकारी के पद नाम का संलग्न किया जाय ।)

11–वर्ष 2003–2004 के लिये निर्धारित लाइसेंस शुल्क ....

12–वर्ष 2003–2004 के लिये जमा लाइसेंस शुल्क ....

(विवरण निर्धारित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट या चालान नं0 दिनांक सहित, जिला आबकारी अधिकारी के पद नाम का संलग्न किया जाय।)

....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दु 1 से 12 तक दी गई सूचनाएँ सत्य हैं । अंकित की गयी सूचनाएँ असत्य पाये जाने पर नवीनीकरण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाये तथा नवीनीकरण शुल्क जब्त कर लिया जाय । उक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र भी संलग्न है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

(पूरा नाम व पता सहित)

उपरोक्त का मैंने अभिलेखों के आधार पर सत्यापन कर लिया है तथा उपर्युक्त बिन्दु–1 से 12 तक दी गयी सूचनायें सत्य है/ भिन्नता निम्नानुसार है:–

जिला आबकारी अधिकारी
प्रति हस्ताक्षरित

निरोधक क्षेत्र के निरीक्षक के हस्ताक्षर
(पूरा नाम)..

उपर्युक्त दी गई सूचनाओं के आधार पर श्री ....

पुत्र .... के फुटकर विदेशी शराब दुकान का वर्ष 2003–2004 के लिये नवीनीकरण निम्न विवरण के अनुसार किया जाता है। लाइसेंस निर्गत किया जाय।

1. विदेशी मदिरा दुकान का नाम ....

2. वर्ष 2003–2004 के लिये निर्धारित वार्षिक लाइसेंस शुल्क ....

लाइसेंस प्राधिकारी / जिलाधिकारी

जनपद ....

वर्ष 2003–2004 में बियर के अनुज्ञापन के नवीनीकरण हेतु आवेदन–पत्र

1– बियर दुकान का नाम ....

2– वर्ष 2002–2003 के अनुज्ञापी का नाम व पता ....

....

3– वर्ष 2002–2003 में दिसम्बर तक बिक्री की गई बियर का विवरण बोतलों (650 एम0एल0 में)......................

4– वर्ष 2002–2003 में दिसम्बर तक बिक्री की गई मात्रा X 4/3 = ...(वर्ष 02–03 में संभावित बिक्री)

5– वर्ष 2002–2003 में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस शुल्क ....

6– वर्ष 2002–2003 में जमा वार्षिक लाइसेंस शुल्क ....

7– वर्ष 2002–2003 में निर्धारित प्रतिभूति धनराशि ....

8–वर्ष 2002–2003 में जमा प्रतिभूति धनराशि ....

9–निर्धारित नवीनीकरण शुल्क ....

10–नवीनीकरण शुल्क जमा करने का विवरण ....

(निर्धारित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जिला आबकारी अधिकारी के पद नाम का संलग्न किया जाय ।)

11–वर्ष 2003–2004 के लिये निर्धारित लाइसेंस शुल्क ....

12–वर्ष 2003–2004 के लिये जमा लाइसेंस शुल्क ....

(विवरण निर्धारित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट या चालान नं0 दिनांक सहित, जिला आबकारी अधिकारी के पद नाम का संलग्न किया जाय।)

....

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दु 1 से 12 तक दी गई सूचनाएँ सत्य हैं । अंकित की गयी सूचनाएँ असत्य पाये जाने पर नवीनीकरण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाये तथा नवीनीकरण शुल्क जब्त कर लिया जाय । उक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र भी संलग्न है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

(पूरा नाम व पता सहित)

उपरोक्त का मैंने अभिलेखों के आधार पर सत्यापन कर लिया है तथा उपर्युक्त बिन्दु–1 से 12 तक दी गयी सूचनायें सत्य है/ भिन्नता निम्नानुसार हैः–

जिला आबकारी अधिकारी
प्रति हस्ताक्षरित

निरोधक क्षेत्र के निरीक्षक के हस्ताक्षर
(पूरा नाम)..

उपर्युक्त दी गई सूचनाओं के आधार पर श्री ....

पुत्र .... के फुटकर बियर दुकान का वर्ष 2003–2004 के लिये नवीनीकरण निम्न विवरण के अनुसार किया जाता है। लाइसेंस निर्गत किया जाय।

1. बियर दुकान का नाम ....

2. वर्ष 2003–2004 के लिये निर्धारित वार्षिक लाइसेंस शुल्क ....

लाइसेंस प्राधिकारी / जिलाधिकारी

जनपद ....

Distlwise MGQ 2003-04 Dt-4-3-2003

वर्ष 2003—2004 का जनपदवार एम0जी0क्यू0 — संलग्नक – 5

क्र0सं0	जनपद का नाम	वर्ष 2003—2004 के निर्धारित एम0जी0क्यू0 (व0ली0में)
1	2	3
1	वाराणसी	5642450
2	चन्दौली	1164000
3	गाजीपुर	2304000
4	जौनपुर	3374700
	योग वाराणसी प्रभार:—	12485150
5	इलाहाबाद	3957200
6	कौशाम्बी	387600
7	फतेहपुर	1889200
8	प्रतापगढ़	1668000
	योग इलाहाबाद प्रभार :—	7902000
9	मिर्जापुर	1682300
10	सोनभद्र	887400
11	सन्तरविदास नगर	933000
	योग मिर्जापुर प्रभार :—	3502700
12	आजमगढ़	4171800
13	बलिया	1500000
14	मऊ	1800000
	योग आजमगढ़ प्रभार :—	7471800
15	गोरखपुर	4084200
16	देवरिया	2700000
17	महराजगंज	1950000
18	कुशीनगर	2464200
	योग गोरखपुर प्रभार :—	11198400
19	बस्ती	1818000
20	सिद्धार्थनगर	954000
21	सन्त कबीर नगर	954000
	योग बस्ती प्रभार :—	3726000
	योग वाराणसी जोन :—	46286050
22	लखनऊ	8400000
23	हरदोई	2790000
24	खीरी	1947950
25	रायबरेली	1851600
26	सीतापुर	2784000
27	उन्नाव	2948400
	योग लखनऊ प्रभार :—	20721950
28	फैजाबाद	1928000
29	सुल्तानपुर	1667800
30	बाराबंकी	1728000
31	अम्बेडकर नगर	2000400
	योग फैजाबाद प्रभार :—	7324200
32	गोण्डा	1300200
33	बहराइच	1418400
34	बलरामपुर	984000
35	श्रावस्ती	254400
	योग देवी पाटन प्रभार :—	3957000
36	बरेली	4500000
37	बदायूं	2646000
38	पीलीभीत	1890000
39	शाहजहांपुर	2700000
	योग बरेली प्रभार :—	11736000
	योग लखनऊ जोन :—	43739150
40	मेरठ	4753200
41	बागपत	1056000
42	बुलन्दशहर	4077600
43	गाजियाबाद	9012000
44	गौतमबुद्ध नगर	3174000
	योग मेरठ प्रभार :—	22072800
45	मुरादाबाद	4848000
46	ज्योतिबाफुले नगर	1560000
47	रामपुर	1688700
48	बिजनौर	3660000
	योग मुरादाबाद प्रभार :—	11756700
49	सहारनपुर	3906000
50	मुजफ्फरनगर	3821600
	योग सहारनपुर प्रभार :—	7727600
	योग मेरठ जोन :—	41557100
51	आगरा	6500300
52	फिरोजाबाद	3084000
53	अलीगढ़	3942000
54	हाथरस	1908600
55	मथुरा	1799400
56	एटा	3310800
57	मैनपुरी	2243800
	योग आगरा प्रभार :—	22788900
58	कानपुर नगर	9126000
59	कानपुर देहात	1390200
60	इटावा	1506300
61	औरैया	984000
62	फर्रूखाबाद	2010000
63	कन्नौज	1620000
	योग कानपुर प्रभार :—	16636500
64	झाँसी	1954800
65	जालौन	1512000
66	ललितपुर	888600
	योग झाँसी प्रभार :—	4355400
67	बांदा	900000
68	चित्रकूट	364200
69	हमीरपुर	996000
70	महोबा	499800
	योग चित्रकूट प्रभार :—	2760000
	योग आगरा जोन :—	46540800
	समस्त जनपद का योग :—	178123100

वर्ष 2003–2004 में नवसृजित आबकारी दुकानों की जनपदवार स्वीकृत संख्या का विवरण

क्रम सं0	जनपद का नाम	देशी शराब			विदेशी शराब			बियर		
		वर्ष 2002–03 की कुल दुकानां की संख्या	वर्ष 2002–03 में सृजित उग दुकानों की संख्या	वर्ष 2003–2004 में कुल दुकानों का योग	वर्ष 2002–03 की कुल दुकानों की संख्या	वर्ष 2003–04 में नवसृजित दुकानों की संख्या	योग	वर्ष 2002–03 की कुल दुकानों की संख्या	वर्ष 2003–04 में नवसृजित दुकानों की संख्या	योग
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
1	वाराणसी	154	21	175	50	1	51	65	2	67
2	चन्दौली	78	-	78	12	-	12	11	-	11
3	गाजीपुर	154	13	167	18	2	20	16	-	16
4	जौनपुर	207	13	220	25	4	29	23	8	31
5	इलाहाबाद	174	106	280	61	-	61	66	5	71
6	कौशाम्बी	41	17	58	6	-	6	7	1	8
7	फतेहपुर	193	157	350	34	-	34	27	-	27
8	प्रतापगढ़	176	-	176	22	-	22	17	2	19
9	मिर्जापुर	139	4	143	30	-	30	17	-	17
10	सोनभद्र	113	-	113	33	-	33	18	2	20
11	सन्तरविदास नगर	99	9	108	19	-	19	15	-	15
12	आजमगढ़	252	50	302	53	-	53	44	2	46
13	बलिया	95	19	114	22	-	22	15	-	15
14	मऊ	101	20	121	19	-	19	14	-	14
15	गोरखपुर	187	16	203	37	-	37	44	-	44
16	देवरिया	119	13	132	20	4	24	20	6	26
17	महराजगंज	122	9	131	12	-	12	7	-	7
18	कुशीनगर	115	7	122	12	2	14	8	2	10
19	बस्ती	118	29	147	16	-	16	16	-	16
20	सिद्धार्थनगर	94	11	105	8	-	8	6	-	6
21	सन्त कबीर नगर	85	7	92	7	-	7	5	-	5
22	लखनऊ	219	104	323	75	-	75	70	10	80
23	हरदोई	229	73	302	22	-	22	23	-	23
24	खीरी	214	89	303	31	-	31	26	-	26
25	रायबरेली	226	70	296	22	-	22	21	-	21
26	सीतापुर	247	30	277	24	1	25	21	2	23
27	उन्नाव	252	80	332	18	8	26	20	5	25
28	फैजाबाद	160	52	212	23	-	23	26	-	26
29	सुल्तानपुर	177	67	244	22	8	30	20	4	24
30	बाराबंकी	182	12	194	21	1	22	21	1	22
31	अम्बेडकर नगर	137	20	157	19	-	19	17	-	17
32	गोण्डा	137	10	147	19	-	19	15	-	15
33	बहराइच	182	-	182	15	-	15	13	-	13
34	बलरामपुर	79	24	103	6	-	6	8	-	8
35	श्रावस्ती	32	10	42	3	-	3	3	-	3
36	बरेली	253	28	281	67	-	67	49	-	49
37	वदायूं	220	31	251	39	4	43	26	-	26
38	पीलीभीत	177	80	257	28	-	28	15	-	15
39	शाहजहांपुर	147	19	166	38	-	38	25	-	25
40	मेरठ	79	1	80	48	11	59	52	13	65
41	बागपत	37	24	61	21	-	21	13	5	18
42	बुलन्दशहर	103	17	120	33	-	33	30	5	35
43	गाजियाबाद	120	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

संलग्नक– 6

वर्ष 2003–2004 में नवसृजित आबकारी दुकानों की जनपदवार स्वीकृत संख्या का विवरण

क्रम सं०	जनपद का नाम	देशी शराब			विदेशी शराब			बियर		
		वर्ष 2002–03 की कुल दुकानों की संख्या	वर्ष 2002–03 में सृजित उप दुकानों की संख्या	वर्ष 2003–2004 में कुल दुकानों का योग	वर्ष 2002–03 की कुल दुकानों की संख्या	वर्ष 2003–04 में नवसृजित दुकानों की संख्या	योग	वर्ष 2002–03 की कुल दुकानों की संख्या	वर्ष 2003–04 में नवसृजित दुकानों की संख्या	योग
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
44	गौतमबुद्ध नगर	58	21	79	36	1	37	50	-	50
45	मुरादाबाद	152	6	158	43	5	48	42	-	42
46	ज्योतिबाफले नगर	60	6	66	12	-	12	12	-	12
47	रामपुर	106	-	106	17	-	17	11	4	15
48	बिजनौर	147	-	147	47	-	47	26	-	26
49	सहारनपुर	92	35	127	46	5	51	38	-	38
50	मुजफ्फरनगर	93	64	157	39	-	39	30	-	30
51	आगरा	116	7	123	87	-	87	69	1	70
52	फिरोजाबाद	121	9	130	47	-	47	25	-	25
53	अलीगढ़	65	82	147	43	-	43	40	-	40
54	हाथरस	45	16	61	20	-	20	14	-	14
55	मथुरा	76	55	131	54	-	54	58	3	61
56	एटा	204	52	256	42	3	45	24	6	30
57	मैनपुरी	105	24	129	12	2	14	9	3	12
58	कानपुर नगर	181	77	258	88	-	88	100	13	113
59	कानपुर देहात	110	15	125	17	-	17	20	-	20
60	इटावा	71	10	81	18	-	18	19	-	19
61	औरैया	53	-	53	14	-	14	12	-	12
62	फर्रुखाबाद	85	-	85	22	-	22	22	-	22
63	कन्नौज	58	12	70	21	-	21	13	-	13
64	झाँसी	144	-	144	33	-	33	26	2	28
65	जालौन	111	10	121	20	2	22	16	1	17
66	ललितपुर	42	11	53	10	-	10	11	-	11
67	बांदा	72	54	126	10	-	10	5	2	7
68	चित्रकूट	35	20	55	6	1	7	2	3	5
69	हमीरपुर	116	-	116	9	-	9	5	-	5
70	महोबा	64	-	64	8	-	8	4	-	4
	दुकानों की कुल संख्या	**9017**	**1971**	**10988**	**1991**	69	**2060**	**1733**	**116**	**1849**

(गंगादीन यादव) 5/03/03

आबकारी आयुक्त, उ०प्र०।

वर्ष 2003–2004 हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लिए भांग की निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा

क्0सं0	जनपद का नाम	कोटा (कि0ग्रा0)	क्0सं0	जनपद का नाम	कोटा (कि0ग्रा0)
1	2	3	1	2	3
1	वाराणसी	26296	36	बरेली	4760
2	चन्दौली	5574	37	बदायूँ	1200
3	गाजीपुर	3280	38	पीलीभीत	1980
4	जौनपुर	5100	39	शाहजहांपुर	4500
5	इलाहाबाद	19000	40	मेरठ	4894
6	कौशाम्बी	3000	41	बागपत	1106
7	फतेहपुर	15600	42	बुलन्दशहर	3170
8	प्रतापगढ़	4285	43	गाजियाबाद	1860
9	मिर्जापुर	12000	44	गौतमबुद्ध नगर	1000
10	सोनभद्र	15000	45	मुरादाबाद	2982
11	सन्तरविदास नगर	4500	46	ज्योतिबाफलेनगर	388
12	आजमगढ़	2000	47	रामपुर	0
13	बलिया	1200	48	बिजनौर	1110
14	मऊ	1081	49	सहारनपुर	1740
15	गोरखपुर	4300	50	मुजफ्फरनगर	2000
16	देवरिया	322	51	आगरा	28000
17	महराजगंज	460	52	फिरोजाबाद	5150
18	कुशीनगर	278	53	अलीगढ़	5491
19	बस्ती	380	54	हाथरस	5690
20	सिद्धार्थनगर	263	55	मथुरा	38725
21	सन्त कबीर नगर	123	56	एटा	3870
22	लखनऊ	13500	57	मैनपुरी	2300
23	हरदोई	13690	58	कानपुर नगर	46000
24	खीरी	7880	59	कानपुर देहात	6204
25	रायबरेली	10750	60	इटावा	5000
26	सीतापुर	10500	61	ओरैया	3251
27	उन्नाव	16240	62	फर्रुखाबाद	2832
28	फैजाबाद	1233	63	कन्नौज	1590
29	सुल्तानपुर	2380	64	झाँसी	10000
30	बाराबंकी	1412	65	जालौन	3300
31	अम्बेडकर नगर	695	66	ललितपुर	1090
32	गोण्डा	2069	67	बांदा	4400
33	बहराइच	1270	68	चित्रकूट	1800
34	बलरामपुर	656	69	हमीरपुर	4300
35	श्रावस्ती	100	70	महोबा	2960

सम्पूर्ण योग –**421060**

(गंगादीन यादव
आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश

5.3.03

संलग्नक–8

देशी शराब/विदेशी मदिरा / बियर की फुटकर लाइसेंस दिये जाने वाले आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पत्र

(एक से अधिक आवेदन होने की दशा में दोनों आवेदकों द्वारा अलग–अलग शपथ पत्र दिये जायेंगे)

मै .... पुत्र / पुत्री / पत्नी .... आयु ....वर्ष निवासी .... शपथपूर्वक अभिकथन करता हूँ कि:–

1. यह कि शपथकर्ता ने देशी शराब / विदेशी मदिरा / बियर की फुटकर बिक्री की दुकान .... थाना .... तहसील .... जनपद .... के लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र दिया है ।
2. यह कि शपथकर्ता ने लाइसेंस की शर्तो और प्रतिबन्धों को पूरी तरह से समझ लिया है और यदि आवेदित दुकान उसे आवंटित हो जाती है तो वह नियमों, लाइसेंसों की शर्तो और लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा समय समय पर दिये जाने वाले अन्य निर्देशों का पालन करेगा ।
3. यह कि शपथकर्ता भारत का नागरिक है ।
4. यह कि शपथकर्ता की आयु 21 वर्ष से अधिक है ।
5. यह कि शपथकर्ता न तो सरकारी अथवा लोक देयों का बकायेदार है, न ही उसका नाम काली सूची में है और न ही उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम–1910 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उस आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित किया गया है ।
6. यह कि शपथकर्ता व उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उसे उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम–1910 अथवा स्वापक एवं मनः प्रभावी अधिनियम–1985, अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि अथवा संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में दोषी नहीं पाया गया है ।
7. यह कि यदि शपथकर्ता का चयन लाइसेंस स्वीकृत के लिए हो जाता है तो वह जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र अनुज्ञापन स्वीकृति के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करेगा ।
8. यह कि शपथकर्ता के पास समय समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968, के प्राविधानों के अनुसार दुकान खोलने के लिए उपयुक्त परिसर है / किराये पर उपयुक्त परिसर लेने की व्यवस्था है (जो लागू न हो उसे काट दिया जाये) प्रस्तावित परिसर किसी विधी या नियमों के प्रतिकूल नहीं बनाया गया है ।
9. यह कि शपथकर्ता किसी विक्रेता अथवा प्रतिनिधि जिसकी अपराधिक पृष्ठभूमि हो अथवा जो संक्रामक या छुआछूत की बीमारी से ग्रस्त हो अथवा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो, अथवा महिला हो, की नियुक्त नहीं करेगा ।
10. यह कि शपथकर्ता हैसियतदार व्यक्ति है और उसके पास आवेदित दुकान के संचालन हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध हैं / शपथकर्ता ने इस हेतु आवश्यक वित्तिय व्यवस्था कर ली है । लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा मागें जाने पर शपथकर्ता द्वारा पूर्ण विवरण उपलब्ध करा दिया जायेगा ।
11. यह कि प्रस्तर–1 से 10 तक की विषयवस्तु मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और किसी तथ्य को छुपाया या हटाया नहीं गया है ।

दिनांक